# न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रेवदर, जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी – रामजीभाई कलबी (RAS)

राजस्व वाद संख्या– 02/2019

प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, रेवदर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शांति पुत्र दरगा कौम पुरोहित निवासी वासाडा तह. रेवदर जिला– सिरोही
2. डाया पुत्र पुजा जाति मेघवाल निवासी गांगुवाडा तह. धानेरा जिला बनास कांठा, गुजरात हाल निवासी वासाडा तह. रेवदर, जिला– सिरोही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

उपस्थिति

1. पेरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश कुमार गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से
3. श्री अर्जुन देवासी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

दिनांकः– 12/11/2020

**–::निर्णय::–**

उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थी तहसीलदार रेवदर की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण शांति पुत्र दरगा जी पूरोहित व डाया पुत्र पुंजा मेघवाल नि. गांगूवाडा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 175 रा. का. अधि. का प्रस्तुत किया । प्राथी ने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया गया कि मौजा वासाडा पटवार मण्डल जैतावाडा के खसरा सं. 231 रकबा 9.05 बीघा की कृषि आराजी अप्रार्थी संख्या 2 डाया पुत्र पुंजा मेघवाल निवासी गांगूवाडा, गुजरात के नाम से दर्ज है जिस पर कब्जा काश्त शांति पुत्र दरगा पूरोहित निवासी वासाडा का है जो गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है प्रार्थी ने उक्त कृषि आराजी को बिलानाम दर्ज करने तथा अप्रार्थी शांति पुत्र दरगा को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का निवेदन किया है बाद ट्रायल [illegible] सहायक कलेक्टर रेवदर ने आदेश दिनांक 29/07/2010 से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत [illegible] स्वीकार करते हुए विवादित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज करने व अप्रार्थी [illegible] पुरोहित को गैर अनुसूचित जाति के सदस्य होने से बेदखल करने के आदे[illegible]हायक कलेक्टरर रेव[illegible] पारित आदेश दिनांक 29/7/2010 के विरूद्ध प्रार्थी डाया द्वारा अधि[illegible] धारा 225 के तहत [illegible] राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.14 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

प्राधिकारी पाली केम्प सिरोही के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 28/6/2011 को खारिज की गई। राजस्व अपील प्राधीकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2011 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा निगरानी संख्या 5336/2011 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई, जो माननीय एकल पीठ द्वारा दि. 4.12.2013 को खारीज की गई। मण्डल द्वारा पारित निर्णय दि. 04.12.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 07.02.2014 को स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2013 को अपास्त किया गया तथा निगरानी में आदेशित किया की राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प सिरोही द्वारा दिनांक 18.06.2011 एवं उपखण्ड अधिकारी, रेवदर द्वारा दिनांक 29.07.2010 को पारित निर्णय अपास्त कि किए जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वाद के अनुरूप माना जाकर विवाद्यक कायम कर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रसतुत करने का समूचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुरूप निस्तारण करें।

प्रार्थी डाया के आवेदन पर दिनांक 16.01.2019 को पत्रावली को पुनः दर्ज कर वाद सं. 2/19 के रूप में दर्ज किया तथा निम्न विवाद्यक बिन्दु तय किए:–

1. आया अप्रार्थी संख्या–2 की कृषि आराजी खसरा न. 231 रकबा 9.05 बीघा मौजा वासाडा पटवार हल्का जेतावाडा, तहसील– रेवदर पर जो अनुसचित जाति की कृषि आराजी है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 जो स्वर्ण जाति का सदस्य है:– जिम्मे वादी
2. आया विवादित आराजी खसरा संख्या 231 रकबा 9.05 बीघ मौजा वासाडा पर अप्रार्थी संख्या–1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या–2 का ही कब्जा काश्त है तथा वह आराजी का रेकर्ड खातेदार है। जिम्मे प्रतिवादी

प्रार्थी तहसीलदार सरकार परोकार ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे पटवार हल्का को साक्ष्य के रूप में पेश किया जिसमे pw 1 के रूप में परिक्षित किया गया गवाह ने बताया की वर्तमान मे भूमि रिक्त पडी है तथा रेकर्ड में बिलानाम दर्ज है। जिरह मे पटवार हल्का ने कहा कि वर्तमान में मुंगफली की फसल बोई थी जो ले ली गई है, वर्तमान में कब्जा किसका है पता नही है मूंगफली की वर्सातु फसल डाया पुत्र पूंजा मेघवाल ने बोई हो तो मुझे पता नही। इसके अलावा प्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

अप्रार्थी सं 2 डाया की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गर्ग द्वारा अपने समर्थन में पांच गवाह प्रस्तुत कर परिक्षित करवाये तथा अपने दस्तावेज को प्रदर्श–1 जमाबंदी, प्रदर्श–2 गिरदावरी रिपोर्ट, प्रदर्श –3 नक्सा ट्रेस, प्रदर्श– 4 भूमि प्रमाण पत्र, प्रदर्श –5 जाति प्रमाण पत्र, प्रदर्श– 6 ग्राम पंचायत जेतावाडा की मौका फर्द, प्रदर्श–7 धारा 91 की कार्यवाही की प्रत्रावली जिन्हे प्रदर्शित करवाया तथा पूर्व में दिए गए जवाब दिनांक 30.03.05 के समर्थन में पांच गवाह प्रस्तुत ... बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का कथन सर्वथा गलत मिथ्या व बेबुनियाद है। मौजा वासाडा तहसील रेवदर के खसरा सं. 231 रकबा 9.05 बीघा बारानी– 1 की आराजी पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। जो अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत 5 गवाहो से पुष्टी होती है। अप्रार्थी सं. 2 डाया पुत्र पूंजा आराजी का खातेदार कृषक है तथा उक्त आराजी पर कृषि कार्य कर जीविकोपार्जन करता है अप्रार्थी डाया ने उपनी उक्त आराजी का कभी भी अवैध हस्तांतरण नही किया है तथा शिकमी काश्त पर नही दिया है। प्रार्थी स्टेट को अप्रार्थी से 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.14 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

विरूद्ध उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा नही होता है तथा प्रार्थना पत्र विधिक रूप से अपरिपोषणीय होने से मय खर्चा खारिज करना फरमावे। इसी प्रकार दिनांक 02.03.06 को अप्रार्थी सं. एक शांति पुत्र दरगा पूरोहित का जवाब प्रस्तुत किया है कि पद स. एक का कथन सर्वथा मिथ्या बेबुनियादी है मौका वासाडा के खसरा संख्या 231 रकबा 9.05 बिस्वा पर अप्रार्थी सं. एक का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। न ही वर्तमान में उस का कब्जा है उक्त विवादित आराजी पर उसके रेकर्डेड खातेदार डाया पुत्र पुंजा मेघवाल का ही कब्जा काश्त बतौर खातेदार है। अप्रार्थी सं. 1 ने अवैध हस्तातंरण कर अविधिक रूप से शिकमी काश्त पर उक्त आराजी प्राप्त नहीं की है तथा विवादित आराजी पर अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति का कब्जा नही है। प्रार्थी ने प्रस्तुत गवाह Dw– 1 सं Dw- 5 गवाह करवाए जिसमें सभी गवाहो के बयानो से यह बात साक्ष्यांकित करती है कि विवादित आराजी पर डाया पुत्र पूंजा की मेघवाल का ही कब्जा काश्त है तथा उक्त विवादित आराजी पर कभी भी शांति पुत्र दरगा जी का कब्जा काश्त नही रहा है। न ही विवादित आराजी को शिकमी काश्त पर किसी को हस्तातंरण किया है ना ही विक्रम विलेख कर अन्य किसी तरीके से भूमि का हस्तातंरण हुआ है।

हमने पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तोवेजों का भली भांति अवलोकन किया गया स्टेट की ओर से राजस्थान सरकार के पेरोकार ने बहस में कथन किया है कि ग्राम वासाडा के खसरा नम्बर 231 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई है जो वर्तमान के बिलानाम दर्ज है लेकिन पूर्व में डाया पुत्र पूंजा मेघवाल नि. गांगूवाडा हाल निवासी वासाडा के नाम दर्ज थी जो अनुसूचित जाति का सदस्य है जिस पर कब्जा स्वर्ण जाति के अप्रार्थी सं. 1 का कब्जा था, जो तत्कालिन पटवार हल्का के मौका फर्द से सम्पूस्ट होता है पेरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे एक गवाह pw 1 पटवार हल्का को परिक्षित करवाया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में किस का कब्जा है उन्हे पता नही भूमि खाली पडी है लेकिन जिरह में बताया कि भूमि पर डाया पुत्र पूंजा जाति मेघवाल का कब्जा हो तो मुझे पता नही। इसके अलावा कोई गवाह प्रस्तुत नही किया न ही कोई विवादित आराजी के हस्तातंरण के सम्बंध में दस्तावेजो साक्ष्य प्रस्तुत किए न ही प्रदर्शित करवाए।

विवाद्यक बिन्दू 1. प्रार्थी को साबित करना था जिसे उनके दस्तावेजी साक्ष्यों व गवाहों द्वारा स्म्पूष्ट नही होते है। प्रस्तुत दस्तावेजो व गवाहों के अवलोकन पर पाया कि विवादित आराजी पर कभी भी अप्रार्थी सं. एक शांति पुत्र दरगा पूरोहित का कब्जा काश्त नहीं रहा है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी के पूर्व के बयानों कोस एक्जामिनेशन (जिरह) नही हुई है, जिस कारण कानून बयान पढ़े जाने योग्य नही है तथा वर्तमान पटवार हल्का के बयानों से भूमि पर कब्जे सम्बंधि कोई साक्ष्य सबूत सामने नहीं आए है। खसरा सं. 231 की विवादित आराजी डाया पुत्र पुंजा मेघवाल नि. गांगूवाडा हाल निवासी वासाडा तह. रेवदर जिला सिरोही के कब्जे काश्तकार की है। पडौसी खातेदार अप्रार्थी सं. एक शांति पुत्र दरगाजी पूरोहित के पडौस में होने मात्र से तत्कालिन पटवार हलका द्वारा द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हुए अवैध [illegible] अनुसूचित जाति के व्यक्ति का मान लिया जो सर्वथा गलत कार्यवाही है तथा कानून का गलत दुरूपयोग कि[illegible] उक्त मामला किसी भी प्रकार से भूमि के ट्रांसफर या सबलेट का नही है प्रार्थी [illegible] दृष्टांन प्रस्तुत किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.14 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

1. 2001(1) RRT- पेज 15 हीरा बनाम आईसा

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर

2. 1990 RRT. पेज 342 बीमाराम बनाम दयालसिंह

3. 1988 (1) WLN पेज 273 सरकार बनाम गुलाब

हमारे विनम्र मत में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानो के अनुसार कोई काश्तकार जो गैर अनुसूचित जाजी/ जनजाति के व्यक्ति को अपनी सम्पूर्ण जोत या किसी अंश को हस्तान्तरित करता है या उपपट्टे पर देता है या हस्तांतरण करने या उपपट्टे पर देने का तात्पर्य रखनेवाला कोई लिखित निष्पादित करता है और अर्न्तरिति या उपपट्टेदार तात्पर्यित अर्न्तरिति या उपपट्टेदार ऐसे अन्तरण अथवा उस पट्टे के अनुसरण में ऐसी जोत या ऐसे भाग में दाखिल हो गया है। तब उक्त कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी।

उक्त प्रकरण में भूमि या जोत का कोई अन्तरण पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत गवाहों द्वारा साबित नहीं होता है, अतः तनकी संख्या 1. प्रार्थी साबित करने में असक्षम रहा है तथा तनकी सं. 2 अप्रार्थी सं. 2 को साबित करनी थी। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहो से साबित कर दिया है कि विवादित आराजी मौजा वासाडा के खसरा सं. 231 रकबा 9.05 बीघा पर उसके रेकर्डेड खातेदार डाया पुत्र पुंजा जाति मेघवाल का ही कब्जा काश्त है। तनकी संख्या 2 अप्रार्थी के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य एवं गवाह पेश नही किए। प्रस्तुत उभय पक्ष बहस एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बलहीन एवं सारहीन पाया गया। अतः हमारे विनम्र मत में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन इस निर्देश के साथ अस्वीकार किया जाता है कि पैरोकार सरकार चाहे तो ठोस साक्ष्यों एवं गवाहो के साथ पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

निर्णय खुले न्यायलय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर रेवदर, जिला-सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2021.01.14 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

रामजी भाई कलबी (RAS)
सहायक कलेक्टर, रेवदर
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर